संख्याः163/2024/436/35-4-2024/35-4099/79/2022

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 28 मार्च, 2024

विषय: जनपद गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद गोरखपुर में शासनादेश संख्या-313/2022/1057/35-4-2022/001-35-4099/79/2022, दिनांक 07 सितम्बर, 2022 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 11 स्वीकृत कार्यों हेतु रू0 3562.35 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 1781.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिसमें प्रश्नगत 04 कार्यों **(शासनादेश दिनांक 07 सितम्बर, 2022 के क्रमांक- 1, 2, 3, 11 पर अंकित कार्य**) के अनुमोदित लागत रू0 1629.27 लाख के सापेक्ष रू0 814.63 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत 04 कार्यो की अनुमोदित लागत धनराशि रू0 1629.27 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि रू0 814.63 लाख का उपभोग विवरण प्रस्तुत करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि **रू0 814.64 लाख (रूपये आठ करोड़ चौदह लाख चौसठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू. लाख में)

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	ग्राम खोराबार में पिच रोड से रामदरस व माधो पाण्डेय के मकान होते हुए संस्कार स्कूल वाले रोड व जज साहब के घर होते हुए संस्कार स्कूल तक सी0सी0सडक व आर0सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	290.73	145.36	145.37

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ैंदंकमीण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।

http://sansanes.up.gov.in

2.	ग्रा0 जंगल सिकरी में देवरिया बाई पास से रमेश राय, बृजभान, सरोज के मकान होते हुये भगवान सिंह के मकान के आगे तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	313.72	156.86	156.86
3.	परम्परा लॉन से बड़गो (मौलवी तक) तक नव निर्मित नाला एवं सी0सी0 रोड व दोनो तरफ सी0सी0/इ0ला0 टाइल्स द्वारा चौड़ीकरण का कार्य।	362.42	181.21	181.21
4.	वार्ड सं0-70 में मोती लान के बगल से कोइलहवा गांव होते हुये स्पोर्टस कालेज को जोड़ते हुये आन्तरिक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	662.40	331.20	331.20
	योग	**1629.27**	**814.63**	**814.64**

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 सितम्बर,2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च,2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 814.64 लाख (रूपये आठ करोड़ चौदह लाख चौसठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-040 लेखाशीर्ष- 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला एवं अन्य सड़कें-337-सड़क कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0304-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ध्ेदंकमीण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर,2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्याः163/2024/436(1)/35-4-2024/35-4099/79/2022/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर ।
13. संबंधित अधिशासी अभियंता, नगर निगमgkp, गोरखपुर ।
14. संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्धैंदंकमीण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।